

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001

सं. 437/दिल्ली-वि.स./2015/एन एस-11

दिनांक: 05 फरवरी, 2015

सेवा में

श्री ऋषिकेश कुमार,  
विधिक प्रकोष्ठ,  
आम आदमी पार्टी।

**विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2015 - प्रत्येक मतदान केन्द्र के बाहर जागरूकता बैनरों को प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए अनुरोध-तत्संबंधी।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर श्री ऋषिकेश कुमार, विधिक प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी, दिल्ली से प्राप्त दिनांक 03 फरवरी, 2015 के आपके पत्र सं. शून्य के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने दिनांक 04 फरवरी, 2015 को एक प्रेस नोट जारी किया है और ई वी एम संबंधी मामलों के बारे में दिनांक 04 फरवरी, 2015 के पत्र सं. 437/दिल्ली-वि.स./2015/एनएस-11 के द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल को भी सूचित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, आयोग सचिवालय में दिनांक 03 फरवरी, 2015 को श्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई आयोग की बैठक के दौरान, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राजनैतिक दल के बूथों पर प्रत्येक मतदान केन्द्रों के बाहर जागरूकता बैनरों को प्रदर्शित करने की अनुमति के लिए आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

जहां तक मतदाताओं के बीच जागरूकता का संबंध है, आयोग ने पहले ही दिनांक 02 फरवरी, 2015 को आवश्यक अनुदेश (प्रति संलग्न) जारी कर दिए हैं और स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं सुचारू निर्वाचन के आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त मामलों के बारे में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पोस्टरों को प्रदर्शित करने सहित समुचित और व्यापक उपाय किए गए हैं।

भवदीय,

(कुमार राजीव)

अवर सचिव

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.: 51/8/7/2015-ईएमएस

दिनांक: 02 फरवरी, 2015

सेवा में,

सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों  
के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

**विषय: ई वी एम के प्रयोग पर आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2012 के अनुदेश -पुनरावृत्ति।**

**महोदय,**

ई वी एम के प्रयोग पर मुझे आयोग के दिनांक 19 जनवरी, 2012 के अनुदेशों को दोहराने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने मतदान कार्मिकों के प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर बल देने तथा यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि मतदान के दौरान उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाए :-

- 1) कंट्रोल यूनिट के प्रभारी मतदान अधिकारी को बैलेट यूनिट को क्रियाशील करते समय मतदाताओं को निदेश देने चाहिए कि यदि वे ई वी एम में लैंप, बीप साउंड इत्यादि संबंधी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि पाते हैं, तो उन्हें इसे तुरंत पीठासीन अधिकारी के नोटिस में लाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी को इस प्रकार की किसी भी शिकायत के प्राप्त होने पर मतदान अभिकर्ता तथा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में उक्त शिकायत की प्रामाणिकता की जांच और सत्यापन करना चाहिए। यदि पीठासीन अधिकारी को शिकायत में कोई यथार्थता दिखाई देती है तो उसे सेक्टर अधिकारी को सूचित करना चाहिए और पीठासीन अधिकारी जितनी जल्दी संभव हो सके त्रुटिपूर्ण ई वी एम को बदलने की व्यवस्था करेंगे।
- 2) वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले, प्रातः ही "छद्म मतदान" ("मॉक पॉल") का आयोजन करते समय पीठासीन अधिकारी को उपर्युक्त अनुदेशों को मतदान अभिकर्ताओं के ध्यान में लाना चाहिए। मतदान केन्द्र में "छद्म मतदान" ("मॉक पॉल") के समय, यदि कोई

मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं है तो जैसे ही मतदान अभिकर्ता मतदान केन्द्र में रिपोर्ट करते हैं तो इसे उनके ध्यान में लाया जाना चाहिए।

- 3) इसके अतिरिक्त आयोग ने निदेश दिए हैं कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान वाले दिन तथा मतदान वाले दिन से एक दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करेंगे जिसमें नियन्त्रण कक्षाओं तथा हेल्पलाइन की दूरभाष संख्याएं; सेक्टर मजिस्ट्रेटों, रिटर्निंग अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों इत्यादि की दूरभाष संख्याएं होंगी, जिन पर मतदाता शिकायत, यदि कोई हो, दर्ज कर सकते हैं।

अपको यह भी निदेश दिए जाते हैं कि उपर्युक्त अनुसार पोस्टर मुद्रित करवाएं तथा साथ ही मतदान वाले दिन से एक दिन पहले सभी मतदान बूथों पर उनको उचित स्थान पर लगाने/चिपकाने की व्यवस्था की जाए।

- 4) आपका ध्यान आयोग के दिनांक 19.01.2012 के "ई वी एम के प्रयोग पर व्यापक अनुदेश" की ओर भी आकर्षित किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसमें निहित अनुदेशों का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने हेतु प्रशिक्षण के दौरान सभी मतदान कार्मिकों को आवश्यक निदेश जारी किए जा सकें।

भवदीय,

(के.एन.भार)

सचिव